रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1976/पौष 11, 1897

No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1976/PAUSA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st January 1976

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 28/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely:—

In the Table annexed to the said notification, against Serial No. 1, in the second proviso, for the figures, letters and words "1st day of January, 1976", the figures, letters and words "1st day of January, 1977" shall be substituted.

[No. 2/76-CE.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली 1 जनवरी, 1976

सा० का० नि 5 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 28/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 1 के सामने, दूसरे परन्तुक में "1 जनवरी, 1976" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जनवरी, 1977" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 2/76 कें० उ० शु०]

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 2/75-Central Excises, dated the 2nd January, 1975.

[No. 3/76-CE.]

N. OBHRAI, Under Secy.

सा० का० नि० 6 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 2/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जनवरी 1975 को विखण्डित करती है ।

[सं० 3/76-कें० उ० शु०]

न० ओबराय, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976